प्रश्नोतर से संबंधित परिशिष्ट

परिशिष्ट 'अट्ठाईस'

[3/3/2016]

प्रश्न सं. [क्र. 2665]

मान विधायक - चौधरी चन्द्रभान सिंह
विधानसभा तारांकित प्रश्न क्रमांक - 2665
सदन में उत्तर देने की तिथि 03.03.16 परिशिष्ट

म. प्र. सिविल सेवा (सेवा की सामान्य शर्तें) नियम 1961

8. **परिवीक्षा.**—(1) किसी सेवा या पद पर सीधी भरती द्वारा नियुक्त किसी भी व्यक्ति को साधारणतः ऐसी अवधि के लिये, जैसी कि विहित की जाये, परिवीक्षा पर रखा जाएगा.

(2) नियुक्ति प्राधिकारी पर्याप्त कारणों से, परिवीक्षा अवधि को ऐसी अवधि तक और बढ़ा सकेगा जो एक वर्ष से अधिक नहीं होगी.

**टिप्पणी विलोपित :

(3) परिवीक्षाधीन व्यक्ति को, उसकी परिवीक्षा की अवधि के दौरान ऐसा प्रशिक्षण प्राप्त करना होगा तथा ऐसी विभागीय परीक्षाएं उत्तीर्ण करना होगी जो विहित की जाये.

(4) परिवीक्षाधीन व्यक्ति की सेवाएं परिवीक्षा की अवधि के दौरान उस स्थिति में समाप्त की जा सकेंगी, यदि नियुक्ति प्राधिकारी का यह मत हो कि वह एक उपयुक्त शासकीय कर्मचारी सिद्ध नहीं हो सकेगा.

(5) जिस परिवीक्षाधीन व्यक्ति ने विभागीय परीक्षा उत्तीर्ण न की हो या जिसे सेवा या पद के अनुपयुक्त पाया जाये, उसकी सेवाएं परिवीक्षा अवधि की समाप्ति पर समाप्त की जा सकेगी.

*(6) सफलतापूर्वक परिवीक्षा पूर्ण करने पर तथा विहित विभागीय परीक्षा, यदि कोई हो, उत्तीर्ण कर लेने पर परिवीक्षाधीन व्यक्ति को, यदि कोई स्थायी पद उपलब्ध हो, उसी सेवा या पद पर स्थायी किया जायेगा जिस पर उसकी नियुक्ति की गई है अन्यथा नियुक्तिकर्ता प्राधिकारी द्वारा उसके पक्ष में इस आशय का एक प्रमाण-पत्र जारी किया जायेगा कि परिवीक्षाधीन व्यक्ति को स्थायी कर दिया गया होता किन्तु स्थायी पद उपलब्ध न होने के कारण नहीं किया जा सका और यह कि स्थाई पद उपलब्ध हो जाते ही उसे स्थायी कर दिया जायेगा.

**(7) ऐसे परिवीक्षाधीन व्यक्ति को, जिसे न तो स्थायी किया गया है और जिसके पक्ष में न ही उप नियम (6) के अधीन कोई प्रमाण-पत्र जारी किया गया हो या जिससे उप-नियम (4) के अधीन सेवा से उन्मोचित न किया गया हो, परिवीक्षा समाप्त होने की तारीख से अस्थाई शासकीय सेवक के रूप में नियुक्त किया गया समझा जायेगा तथा उसकी सेवा की शर्तें "मध्यप्रदेश गवर्नमेन्ट सर्वेन्ट (टेम्परेरी एण्ड क्वासी परमानेन्ट सर्विस) रूल्स, 1960 द्वारा शासित होगी."

9. **स्थानापन्न शासकीय कर्मचारियों की उपयुक्तता के लिये परीक्षण.**—(1) कोई व्यक्ति जो पहले से ही, स्थायी शासकीय सेवा में है, सीधी भरती, पदोन्नति या स्थानांतरण द्वारा किसी अन्य सेवा या पद पर नियुक्त किया जाये, उस सेवा या पद पर उसकी उपयुक्तता अभिनिश्चित करने के लिये सामान्यतः दो वर्ष की कालावधि के लिये स्थानापन्न हैसियत में नियुक्त किया जायेगा :

परन्तु शासन यह घोषित कर सकेगा कि ऐसी सेवा या पद पर पूर्विक स्थानापन्नता की कालावधि को उस सीमा तक, जो कि किसी विशिष्ट मामले में विनिर्दिष्ट की जाये परीक्षण की कालावधि के प्रति गिना जा सकेगा :

परन्तु यह और भी कि यदि शासकीय कर्मचारी किसी ऐसे पद पर नियुक्त किया गया है जिस पर, नियुक्तियां विनियमित करने वाले भरती नियमों के अनुसार सीधी भरती भी की जाती हैं तो स्थानापन्नता की कालावधि उस परिवीक्षा की कालावधि के बराबर होगी जो कि नियमों के अधीन उक्त पद पर सीधी भरती द्वारा नियुक्त किये गये व्यक्ति के लिये विहित है.

(2) नियुक्ति प्राधिकारी, स्थानापन्नता की कालावधि को पर्याप्त कारणों से और एक वर्ष से अनधिक कालावधि के लिये बढ़ा सकेगा:

परन्तु यदि शासकीय सेवक उस पद पर नियुक्त किया जाता है जिस पर कि ऐसे पदों पर नियुक्तियां विनियमित करने वाले भरती नियमों के अनुसार सीधी भरती से भी नियुक्तियां की जाती हैं और नियमों में परिवीक्षा की कालावधि के विस्तार का उपबंध है तो वह कालावधि, जिस तक के लिये स्थानापन्नता की कालावधि और विस्तारित की जा सकेगी, उस कालावधि के बराबर होगी जिस तक के लिये नियमों के अधीन उक्त पद पर सीधी भरती किये गये व्यक्ति की परिवीक्षा कालावधि विस्तारित की जाने योग्य है.

(3) यदि स्थानापन्नता की कालावधि या बढ़ाई गई स्थानापन्नता की कालावधि के दौरान या उसकी समाप्ति पर शासकीय सेवक उस सेवा या पद के लिये अनुपयुक्त पाया जाये, जिस पर कि उसे नियुक्त किया गया है तो उसे उसकी पूर्व की मूल सेवा या पद पर प्रत्यावर्तित कर दिया जायेगा.

टिप्पणी:—विहित विभागीय परीक्षायें, यदि कोई हों, ऐसी कालावधि के भीतर जो उस प्रयोजन के लिये अनुज्ञात की जाये, उत्तीर्ण न करने पर शासकीय कर्मचारी को, उस सेवा या पद हेतु जिस पर कि वह स्थापनापन्न रूप से कार्य कर रहा हो, उसकी उपयुक्तता प्रदर्शित करने में असफल समझा जायेगा.

(4) यदि परीक्षण की कालावधि की समाप्ति पर, स्थानापन्न शासकीय कर्मचारी को उस सेवा या पद के लिये जिस पर वह नियुक्त किया गया है, उपयुक्त समझा जाये तो यदि स्थाई पद उपलब्ध है तो उसे उस सेवा या पद पर जिसमें उसे नियुक्त किया गया है, स्थाई कर दिया जायेगा अन्यथा नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा इस आशय का एक प्रमाण-पत्र उसके पक्ष में जारी किया जायेगा कि स्थानापन्न शासकीय सेवक को स्थायी कर दिया गया होता किन्तु स्थाई पद उपलब्ध नहीं है और जैसी ही स्थायी पद उपलब्ध होता है, उसे स्थायी कर दिया जायेगा.

(5) ऐसा कोई शासकीय कर्मचारी जिसे उपनियम (4) के अधीन न तो स्थायी किया गया है, न उसके पक्ष में प्रमाण-पत्र जारी किया गया है और न ही उसे उप नियम (3) के अधीन उसकी पूर्व की मूल सेवा का पद पर प्रत्यावर्तित किया गया है, उप नियम (2) में किसी बात के होते हुए भी स्थानापन्न हैसियत में आगामी आदेश पर्यन्त सेवा में बना रहा समझा जायेगा और ऐसी कालावधि के दौरान वह किसी भी समय अपनी मूल सेवा या पद पर प्रत्यावर्तित किये जाने के दायित्वाधीन होगा.

अनुभाग अधिकारी
सामान्य प्रशासन विभाग